

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com

दूरभाष एवं फ़ैक्स नं०: 05963-220249

वन मित्र काल सेटर- 9208008000

पत्रांक 2033 / 127

बागेश्वर

दिनांक : 09/02/2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय - जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग से दाबू हड़ाप तक मोटर-मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण (प्रस्ताव संख्या 10042/2015)।

सन्दर्भ- ऑन लाईन लगाई गई आपत्ति के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि हरिनगरी पयां मोटर मार्ग से दाबू हड़ाप तक मोटर-मार्ग निर्माण प्रस्ताव पर नोडल अधिकारी द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण इस कार्यालय से कर सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु स० 1	Short narrative of the project does not give adequate information about the projects.	Adequate information regarding the project is given in Justification. A copy of resived justification has been uploaded in part I and hard copy is enclosed herewith.
बिन्दु स० 2	Starting and end point of the proposed road is not marked on the SOI topo sheet uploaded in Part I.	Starting point Malla paya and end point village Harap has been mentioned in SOI topo sheet and uploaded in Part I.
बिन्दु स० 3	As per detail provided in hard copy the proposed diversion is an extention of already approved road. Therefore past information in the designated column in part I regading prior approved case is not found in part.	The proposed motor road is an extention of Harinagri-Paya motor road. Past information regarding prior approval has been uploaded in designated column of Part I. Hard copy is inclosed hererwith for reference.
बिन्दु स० 4	The muck disposal is proposed with in Row therefore GPS co-ordinate may be provided for all points marked for the dumping along the stretch of proposed road in geo-referenced map.	Muck dumping sit selected in khud side of the proposed motor road in each km within 07 m width and co-ordinated of each place has already mentioned in geo-referenced map showing co-ordnates of all points is being uploaded again in part I.

बिन्दु सं 5	Part I, II, III, IV and V filled in online form is not provided with the hard copy of the proposal.	It will be provided by Nodal Officer s Office of State Govt.
----------------	---	--

अतः प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यावाही करने की कृपा करे ।
संलग्न- यथोपरि

भवदीय



(एम०बी०सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

परियोजना का नाम:- एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी-पयां
मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।


परियोजना का औचित्य


शासनादेश संख्या 2490/111(2)/ 08-61 (प्रा.आ.)/ 2007 दिनांक 25.07. 2008 द्वारा एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार लम्बाई 10 कि0मी0 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 473.11 लाख के लिए प्रदान की गयी है।

शासन द्वारा विकास खंड, गरुड़ में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग लम्बाई 5 कि.मी. के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें भारत सरकार के पत्रांक 8 बी/06/150/ 2005/एफसी./ 2991 दिनांक 20.02.2006 द्वारा विधिवत् स्वीकृति एवं शासनादेश संख्या जी. आई.-1047/7-1-2006/600/ (1151) / 2005 दिनांक 10.03.2006 द्वारा वनभूमि हस्तान्तरण आदेश उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। स्वीकृत नया मोटर मार्ग इस मार्ग का विस्तार है जो मल्ला पयां नामक स्थान से प्रस्तावित किया गया है एवं सर्वेक्षण उपरान्त दाबू हड़ाप तक इस मार्ग की कुल लम्बाई 9.50 कि0मी0 आती है।

अनुसूचित जाति बाहूल्य ग्राम दाबू हड़ाप ग्रामसभा सिमगढ़ी विकास खंड गरुड़ के सबसे दूरस्थ क्षेत्र में जनपद बागेश्वर एवं सीमान्त जनपद चमोली की सीमा में स्थित है और अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। वर्तमान में यातायात के साधन न होने से स्थानीय जनता को अपने दैनिक उपभोग की वस्तुओं को पहाड़ी दुर्गम रास्तों से छोड़े व खच्चरों के माध्यम से लाना पड़ता है। सीमित कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि, बागवानी एवं पशुपालन है। दूरस्थ क्षेत्र में होने एवं छोड़े खच्चरों के माध्यम से दुलान व्यय अधिक होने के कारण कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और ना ही कोई कर्मचारी इन दूरस्थ क्षेत्र में अपनी सेवायें देने को तैयार होते हैं जिससे यह क्षेत्र शिक्षा एवं चिकित्सा की सुविधा में काफी पीछे है। इस मार्ग का निर्माण हो जाने से उपरोक्त ग्रामों की 1108 जनता का गरुड़ तहसील एवं बाजार से सीधा सम्पर्क होने के साथ ही महत्वाकांशी 108 चिकित्सा सेवा का लाभ मिल सकेगा। साथ ही ग्रामीण युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे जिससे शहरों की ओर पलायन रुकेगा। इस मार्ग के निर्माण से होने वाले लाभ का विस्तृत सांख्यिकीय विवरण प्रस्ताव में संलग्न लागत लाभ विवरण में दिया गया है। इस मार्ग के संरक्षण में न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार कुल 6.06 है0 वन भूमि एवं 417 चीड़ प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। मोटर मार्ग निर्माण के समय यथा सम्भव कम से कम वृक्षों का पातन सुनिश्चित किया जायेगा। यह चीड़ बाहूल्य क्षेत्र है, मोटर मार्ग निर्माण के उपरान्त आगामी 5 वर्षों के अन्दर प्राकृतिक रूप से चीड़ का घना जंगल पुनः स्वतः ही बन जायेगा।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कास्तकारों की नाम भूमि के अलावा समस्त भूमि वन भूमि की श्रेणी में ली गयी है और कास्तकारों के पास सीमित मात्रा में नाप भूमि होने के कारण जनहित की योजनाओं के लिए वन भूमि उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं है अतः प्रस्तुत प्रस्ताव पर वन भूमि की स्वीकृति औचित्यपूर्ण एवं अपरिहार्य है।


सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
S. K. बागेश्वर


अधिशाली अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
S. K. बागेश्वर

प्रेषक

श्री राजेन्द्र कुमार,
आफर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

नांडल अधिकारी एवं वन संरक्षक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तरांचल, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून : दिनांक 10, मार्च, 2006.

विषय:- जनपद-बागेश्वर में हरिनगरी-पर्यौ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.90 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या:-3731/1जी-1155 (बाग०) दिनांक 03-03-2006 के नम्बर में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-बागेश्वर में हरिनगरी-पर्यौ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.90 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण की स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या-8वी/यू.सी.पी./06/150, 2005/एफ.सी./2591 दिनांक 20-02-2006 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं:-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. लोक निर्माण विभाग उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. लोक निर्माण विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेगा और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं लोक निर्माण विभाग पर बाध्यकारी होगा, लोक निर्माण विभाग द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि लोक निर्माण विभाग को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि लोक निर्माण विभाग को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो लोक निर्माण विभाग के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
5. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये सुदृष्ट पर प्रदेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
6. वन भूमि पर खड़े वृक्षां, यदि कोई हों और उनका पालन किया जाना निरन्तर आवश्यक हो तो वह केवल उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा ही निस्तारित किया जायेगा।
7. वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले नजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईदन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुँचाएँ, इसके लिए लोक निर्माण विभाग ईधन की लकड़ी अथवा अन्य वैकल्पिक ईधन सान्नी प्रालम्ब करायेगा।
8. लोक निर्माण विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा 9.80 हे० अवनत वन क्षेत्र पर क्षतिपूर्क क्लियरिंग एवं उसका रख-रखाव किया जायेगा।

9. लोक निर्माण विभाग के व्यव पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर विद्यत नई स्थान पर उचित वृक्षारोपण किया जायेगा।
10. लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद कार्य भूत की संस्तुतिमा एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. कार्य आरम्भ होने से पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 1994 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
12. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्थितियों एवं जीव जन्तुओं को बाध नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
13. प्रयोज्य एजन्सी से एनओपीओ की धरराशि वसहित कर उक्त धरराशि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रकल्प एवं नियोजन एजन्सी (CAMP.A) को स्थानान्तरित किया जायेगा।
14. प्रस्तावित परियोजना के लिए हस्तान्तरण की जाने वाली वन भूमि पर लोक निर्माण विभाग के व्यव पर आरओसीओसीओ पिलरों से फोर बिचरिंग व वन बिचरिंग लेकर स्वीकृत किया जायेगा व प्रभागीय स्तर पर वन भूमि हस्तान्तरण के आदेशों को भी अंकित किया जायेगा।
15. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में मलवे का निस्तारण डम्पिंग स्थल (Dumping Sites) चयनित कर किया जायेगा व उक्त व्यव पर डम्पिंग स्थल का पुनर्वास/पुनर्स्थापना कार्य किया जायेगा।

2. उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए-2-75/वरु-77-14(4)/74 दिनांक 3-2-1977 द्वारा प्रकृत अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्या:-जीओआईओ:- 1047 /7-1-2006-500(1151)/2005 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, सैक्टर-एच, पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
3. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल शासन।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।